तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जा...
16/11/22	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप० पुन: बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 136 LR Act हेतु दिनांक 02/12/22 को पेश हो। SDO	
02/12/22	पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 136 LR Act हेतु पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रा०पत्र 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हो। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 03 / 60 / 2018
तारीख दायरा : 05.07.2018

उनवान

1. जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना जाति मीना निवासी मुरली का बास ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर।

.............प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रैणी (अलवर)

.............अप्रार्थी।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)

उपस्थित – श्री सुनिल शर्मा एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 02.12.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता नम्बर 571 खसरा नम्बरान 750 रकबा 0.28 है0, 751 रकबा 0.20 है0, 752 रकबा 0.47 है0, 754 रकबा 0.47 है0, 755 रकबा 0.03 है0, 805 रकबा 0.05 है0, 806 रकबा 0.36 है0, 807 रकबा 1.04 है0, 808 रकबा 0.80 है0, 826 रकबा 0.28 है0, 827 रकबा 0.23 है0, 853 रकबा 0.03 है0 कुल किता 12 रकबा 4.24 है0 व खाता नं. 572 खसरा नम्बरान 1111 रकबा 2.58 है0, 1112 रकबा 0.30 है0, 1113 रकबा 0.21 है0, 1114 रकबा 0.25 है0, 1115 रकबा 1.15 है0, 1116 रकबा 0.07 है0, 1117 रकबा 0.37 है0, 1118 रकबा 0.36 है0, 1119 रकबा 0.06 है0, 1120 रकबा 0.62 है0, 1124 रकबा 0.65 है0, 1125 रकबा 0.58 है0 कुल किता 12 रकबा 7.20 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त खातेदार है। उक्त आराजीयात वाके ग्राम पिनान जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में बन्दोंबस्त विभाग के कर्मचारियान द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम जीता पुत्र रामजीलाल मीना दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र रामजीलाल मीना है। उक्त गलती एक अर्थमेंटिक गलती है जिसें दुरस्त किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, मार्कशीट आदि में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र रामजीलाल मीना दर्ज है। अन्त में निवेदन किया कि बाद जॉच मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खाता नम्बर 571 खसरा नम्बरान् 750, 751, 752, 754, 755, 805, 806, 807, 808, 826, 827, 853 कुल किता 12 रकबा 4.24 है0 व खाता नम्बर 572 खसरा नम्बरान 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1124, 1125 कुल किता 12 रकबा 7.20 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर

की जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम जीता पुत्र रामजीलाल को दुरूस्त करके जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र रामजीलाल मीना दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार रैणी से प्रकरण मे तथ्यात्मक रिपोंट प्राप्त की गई है। तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "प्रार्थी का हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम जीता पुत्र रामजीलाल जाति मीना दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी के संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र रामजीलाल मीना अंकित है। प्रार्थी अपने संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम जीता पुत्र रामजीलाल के स्थान पर जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र रामजीलाल मीना शुद्व करवाना चाहता है। अतः संलग्न दस्तावेजों के आधार प्रार्थी का नाम जीता के स्थान पर जितेन्द्र कुमार मीना शुद्व किया जाना उचित है। "

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2073–2075 खाता नम्बर 611, 612 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता नम्बर 571, 572, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार मीना ही है। इसप्रकार तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी का नाम जीता पुत्र रामजीलाल मीना के स्थान पर जितेन्द्र कुमार मीना होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बरान 750 रकबा 0.28 है0, 751 रकबा 0.20 है0, 752 रकबा 0.47 है0, 754 रकबा 0.47 है0, 755 रकबा 0.03 है0, 805 रकबा 0.05 है0, 806 रकबा 0.36 है0, 807 रकबा 1.04 है0, 808 रकबा 0.80 है0, 826 रकबा 0.28 है0, 827 रकबा 0.23 है0, 853 रकबा 0.03 है0 कुल किता 12 रकबा 4.24 है0 व खसरा नम्बरान 1111 रकबा 2.58 है0, 1112 रकबा 0.30 है0, 1113 रकबा 0.21 है0, 1114 रकबा 0.25 है0, 1115 रकबा 1.15 है0, 1116 रकबा 0.07 है0, 1117 रकबा 0.37 है0, 1118 रकबा 0.36 है0, 1119 रकबा 0.06 है0, 1120 रकबा 0.62 है0, 1124 रकबा 0.65 है0, 1125 रकबा 0.58 है0 कुल किता 12 रकबा 7.20 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जीता के स्थान पर जितेन्द्र कुमार मीना दर्ज किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित / मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)
2.12.22